न्यायालय नायब तहसीलदार रुपनगढ जिला–अजमेर

राजस्व मुकदमा नं. 04 /2022 किस्म मुकदमा अंतर्गत धारा 91

उनवान राज.भू राजस्व अधि. 1956

सरकार जरिये प0ह0रघुनाथपुरा बनाम **श्री मांगीलाल, रघुवीर पुत्र श्री भवंरलाल जाति जाट नि. रघुनाथपुरा**

दिनांकः– 21.02.2022

निर्णय

पत्रावली पेश हुयी। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। तथा संलग्न पटवारी रिपोर्ट अनुसार अतिक्रमण सिद्ध होता है अतः मामला निर्णित किया जाता है।

प्रकरण संक्षिप्त मे इस प्रकार से है कि ग्राम रघुनाथपुरा के आराजी **खसरा नंबर 1 किस्म चारागाह रकबा 0.6472** भूमि पर बाड़ा बनाकर व जौ की काश्त कर अप्रार्थी ने कब्जा कर लिया गया है। जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला अंतर्गत 91 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र मय जवाब पेश किया। तथा संलग्न पटवारी रिपोर्ट में अप्रार्थी का अतिक्रमण होना सिद्ध होता है। अतः मामला निर्णित किया जाता है

अतः आदेश दिये जाते है कि अप्रार्थी को ग्राम रघुनाथपुरा के आराजी खसरा नंबर 1 **किस्म चारागाह रकबा 0.6472** से बेदखल किया जाता है तथा **लगान 4 का 50 गुणा 200**/–रुपये जुर्माना किया जाता है तथा अप्रार्थी को विवादग्रस्त आराजी से भौतिक रुप से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। पटवारी हल्का प्रश्नगत आराजी पर खड़ी फसल को नीलामी कर फर्द स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करे।

पटवारी/टी.आर.ए.मांग कायमी कर वसूली करे तथा विवादित भूमि पर से अप्रार्थी को भौतिक रुप से बेदखल कर कब्जा लेकर रिपोर्ट पेश कर।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। मुकदमा नम्बर से कम हो पत्रावली बाद पूर्ति संग्रह भण्डार हो।

(मुहर: कार्यालय नायब तहसीलदार रुपनगढ (अजमेर))

वर्ष 2021-22 रा.लै.सं.4 के पृष्ठ संख्या 13 पर रु. 200/- की मांग कायमी की गई। +2500 नीलामी राशि

तहसील राजस्व लेखाकार 3/3/22 14/3/22

नायब तहसीलदार
रुपनगढ(अजमेर)
नायब तहसीलदार तहसील रुपनगढ (अजमेर)

Scanned by CamScanner